न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 105/2022

1. हरबंशसिंह पुत्र श्री गुरदयालसिंह जाति जटसिख साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मखनसिंह पुत्र श्री गुरदयालसिंह जाति जटसिख साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थीगण

–:बनामः–

1. गुरदेवकौर पत्नि सुखदेवसिंह
2. बूटासिंह द्यपि. सुखदेवसिंह
3. लखविन्द्रसिंह

(1 से 3) जाति जटसिख साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4. कालासिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. जसविन्द्रसिंह
6. बलजिन्द्रसिंह

(5 व 6) पि. मखनसिंह जाति जटसिख साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ़ राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण.......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थीगण
2. श्री जगजीत सिंह रमाणा	अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3. श्री चानण राम	अप्रार्थी संख्या 5 व 6
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 7

5. अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25/02/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 122/111 प.न. 27/254 मु.न. 5 कि.न. 12/2/0.0430, 13/2/0.0550, 18, 19, 22, 23, 24, की कुल 1.3630 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी न. 1 हरबंशसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है । 3. यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 73/68 प.न. 26/260 मु.न. 27 कि.न. 11/1/0.2280, 16/2/0. 0250खाता [illegible] प.न.27 / 253 मु.न. 2 कि.न. 13, 14, 17 ता 19, 22/2/0.1040, 23/2/[illegible]040, [illegible] की कुल 3.6240 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी न. 2 व अ[illegible] बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ [illegible] की मुताबिक जमाबन्दी [illegible] 2075 से 2078 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाइ का खाता सं. 65/60 प.नं. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

253 मु.न. 1 कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 व प.न. 26/254 मु.नं. 6 कि.नं. 5/1/0.2020, 5/2/0.0260 रास्ता, 5/3/0.0250खाला, 6/1/0. 2280, 6/2/0.0250 खाला, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250खाला, 16/1/0. 2280, 16/2/0.0250खाला, 25/1/0. 228, 25/2/0.0250खाला व प.नं. 26/260 मु.न. 27 कि.नं. 1/1/0.215, 1/2/0.0380 रास्ता, 2/1/0.215, 2/2/0.0380 रास्ता, 3/1/0.215, 3/2/0.0380रास्ता, 4/1/0. 215, 4/2/0.0380रास्ता, 5/1/0.215, 5/2/0.0380रास्ता, 5/3/0.0250खाला, 8 ता 10 व प.न. 27/253 मु.नं. 2 कि.नं. 11/1/0.228, 11/2/0.0250रास्ता, 12, 20/1/0.228, 20/2/0. 0250रास्ता, 21/1/0.228, 21/2/0.0250रास्ता, व प.नं. 27/254 मु.नं. 5 कि. न. 1, 10, 11ख 20, 21, प.न. 28 / 257 मु.न. 19 कि.न. 16 ता 20, 23 ता 25 की कुल 8. 6010 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खाता खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 के नाम 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी न. 2 के नाम 3/7 हिस्सा व अप्रार्थी न. 3 के नाम 3/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 20/18 प.न. 27 / 253 मु.न. 2 कि.न. 22/1/0.1490, 23/1/0.1490, व प.न. 27/254 मु.न. 5 कि.न. 2, 3, 8, 9, 12/1/0.2100, 13/1/0.1980, प. न. 28/257 मु.न. 19 कि. 21, 22, 23/1/0. 1270, व प.न. 28/258 मु.न. 20 कि. न. 1 ता 5, की कुल 3.6160 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी न. 4 कालासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि प्रार्थी न. 1 को दावा की दफा 2 में व प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी न. 5 व 6 को प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। जबकि प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी आदि व पैदल चल कर आने जाने के लिये अप्रार्थी न. 1 ता 4 की कृषि भूमि में से वाके तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी का प.न. 27 / 254 का कि.न. 1 की उत्तर दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 2 बिस्वा चौड़ा व पूर्व पश्चिम 1 बीघा लम्बा व प.न. 27/253 कि.न. 22 में पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण पौना बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो कि प.न. 27 / 254 के कि.न. 2, 9, 17 की ओर रास्ता उत्तर– दक्षिण पौने तीन बीघा लम्बा व पूर्व– पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता से मिलान करता हुआ रास्ता जो कि उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/253 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक बीघा में स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में जाकर मिलता हुआ रास्ता है। जिसे उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/254 कि.न. 1/0.0250, 2/0.0250, 9/0.0250, 12/0.0200, व प.न. 27/253 कि.न. 22/0.0200 को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त चाहा गया रास्ता के अलावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 5 व 6 की उक्त कृषि भूमि में आने जानें के लिये अन्य को रास्ता नहीं लगता है। उक्त अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे जिसके बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को साथ लगती हुई कृषि भूमि रास्ता के एवज में देकर रकबा चुकता करने को या श्री मान जी के आदेश अनुसार तय शुदा राशि अदा करने को तैयार व तत्तपर हैं।

यह कि प्रार्थीगण के खिलाफ अप्रार्थीगण ने एक गुट बना रखा जो कि प्रार्थीगण का चाहा गया व मौका पर चालू रास्ता को नाजायज व विधि विरूद्ध तरीका से बन्द करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण अपने गल्त मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी किसी तरीका से पूर्ती नहीं होगी। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ निशेधाज्ञा पाने के हकदार हैं कि अप्रा[illegible]रास्ता को किसी भी प्रकार से बन्द नहीं करें व रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थि[illegible] रखें अपूर्णीय क्षति, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण [illegible]।

यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी [illegible]र का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे।

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/254 कि.न. 1/0.0250, 2/0.0250, 9/0.0250, 12/0.0200, व प.न. 27/253 कि.न. 22/0.0200 को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) अप्रार्थी न. 1 ता 4 की कृषि भूमि में से वाके तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/254 का कि.न. 1 की उत्तर दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 2 बिस्वा चौड़ा व पूर्व पश्चिम 1 बीघा लम्बा व प.न. 27/253 कि.न. 22 में पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण पौना बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो कि प.न. 27/254 के कि.न. 2, 9,12 की ओर रास्ता उत्तर–दक्षिण पौने तीन बीघा लम्बा व पूर्व– पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता से मिलान करता हुआ रास्ता है जो कि उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/253 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक बीघा में स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में जाकर मिलता हुआ रास्ता है। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है– प्रार्थना पत्र की दफा 1 सही पता से सम्बंधित है जिसे प्रार्थीगण स्वय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। जिसे प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करें

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बधित है जिसमे मिन अप्रार्थी सं.1 का 1/7 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 व 3 का 3/7 व 317 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बधित है जिसे प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 मे वर्णित कथन कतई अविधिक व असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना कि चक 18 एम ओ डी के प.नं. 27/354 के किला नं. 1 के उतरी दिशा की सींव पर उतर से दक्षिण 2 बिस्वा चौडा पूर्व पश्चिम 1 बीघा लम्बा व प.नं. 27/253 के किला नं. 22 मे पश्चिम दिशा की सींव पर पौना बीघा लम्बा प.नं. 27/254 के किला नं. 2,9,12 की ओर रास्ता उतर दक्षिण पौने तीन बीघा लम्बा रास्ता से मिलान करता हुआ चक 18 एम ओ डी के प.नं. 27/253 के किला नं. 1,10,11,20,21 मे प्रत्येक बीघा मे स्वीकृतशुदा रास्ता मे जाकर मिलता हो कतई असत्य व मनगढत कथन अकिंत किए है। प्रार्थीगण ने असत्य व मनगढत कथन अकित किए है प.नं. 27/254 के किला नं. 1,2,9,12 के बीचो बीच मे रास्ता चाहा है जो कतई स्वीकार नही है किसी भी प. नं. के बीचो बीच रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है यंहा रास्ता पत्थर लाईन पर उपलब्ध हो प्रार्थीगण को चक 18 एम ओ डी के प.नं. 28/255 के किला नं. 1ता 5 मे रास्ता स्वीकृत शुदा है जो प.नं. 27/254 के किला नं. 25 के साथ चिपता है व चालु रास्ता है किला नं. 24 प्रार्थीगण का है जिनको अपनी कृषि भूमि मे किला नं. 12/2/0.043, 13/2/0. 055, 18, 19, 22, 23, 24 मे पहुचने के लिए सबसे नजदीक चालु व लघुतम रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतु चक 18 एम ओ डी प.नं. 28/255 के किला नं. 1 ता 5 मे जो रास्ता मौके पर स्वीकृत शुदा है व चालु है से जाते हुए प.नं. 271254 के किला नं. 25 मे से होते हुए अपनी कृषि भूमि के किला नं. 24 मे आसानी से आ जा सकते है प्रार्थीगण को प. नं. 27/254 के किला नं. 25 मे रास्ता स्वीकृत करवाकर [illegible] कृषि भूमि के प.नं. 27/254 किला नं. 24 मे पहुंच कर अन्य बीघो मे आ जा सकते है [illegible] प्रकार प्रार्थीगण को सबसे नजदीक व लघुतम रास्ता जो मौके [illegible] 28 [illegible] के किला न. 1 ता 5 मे उपलब्ध है जिसे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आने जाने [illegible] है प्रार्थीगण ने जान बुझकर मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से रास्ता चाहा है जो प्रार्थीगण [illegible] करने के अधिकारी नही है चूकि सबसे लघुतम व नजदिक रास्ता यदि उपलब्ध हो तब [illegible]. के बीचो बीच व लम्बाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता कानूनन स्वीकृत नही किया जा सकता इस कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता को प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है। राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी प.नं. 28/255 व सलग्न पटवारी से तस्दीक शुदा नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई अविधिक व असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए है प्रार्थीगण का किसी प्रकार का प्रथम दृष्या मामला व सुविधा का सतुलंन नही बनता है प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपरिमेय क्षति नही हो रही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कतई अविधिक व असत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अविधिक व मनगढ़त तथ्य अंकित कर व स्वीकृतशुदा रास्ता से मात्र 1 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण की दूर होने के कारण उन तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र गलत ढंग से प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.नं. 27/254 मे स्थित है व चक 18 एम ओ डी के प.नं. 28/255 के किला नं. 1 ता 5 मे रास्ता स्वीकृत है प्रार्थीगण चक 18 एम ओ डी प.नं. 28/255 के किला नं. 1 व प.नं. 27/254 के किला नं. 25 जो की चिपते है तक रास्ता है जिससे प्रार्थीगण प.नं. 28/255 के किला नं. 1 ता 5 मे से होते हुए प.नं. 27/254 के किला नं. 25 मे से होते हुए अपनी कृषि भूमि मे प.नं. 27/254 के किला नं. 24 तक पहुचते है व इसी रास्ते से आना जाना करते है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अविधिक रूप से रास्ता का प्रार्थना पत्र को भारी हर्जाने से खारिज फरमाया जावें ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रास्ता प्रकरण को मय खर्चा व भारी हर्जाने सहित खारिज फरमाया जावें ।

अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री चानण राम द्वारा वकालतनामा मय इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 ता 7 में वर्णितानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं होगा।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सपीसी बाद निगरानी मा. राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा स्वीकार होने पर रिपोर्ट तहसीलदार मौका रिपोर्ट मय रंगीन नक्शा पुनः मंगवाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर पुनः तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट/मौका फर्द चक 18 एमओड़ी में वर्णित प.नं. 27/253(2), 27/254 (5) का प्रार्थी हरबन्शसिंह द्वारा चाहा जा रहा रास्ता चक 18 एमओड़ी में प.नं. 27/254(5) कि. नं. 1 में पूर्व से पश्चिम में उत्तर की ओर, कि.नं. 2–9–12 (आंशिक) में उत्तर–दक्षिण दिशा में पश्चिम की ओर मौके पर चालू है। उक्तानुसार रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान मुताबिक जमाबन्दी रिकॉर्ड अनुसार पक्षकार बनाया गया है। हरबंशसिंह को चाहे गए रास्ते से कम दूरी का एक स्वीकृतशुद्धा रास्ता प.नं. 28/255(11) कि.नं. 1 ता में स्थित रास्ता है एवं प.नं. 27 / 255 (10) कि.नं. 1 ता 5 में मौके पर चालू रास्ता है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और हरबन्श सिंह के कि.नं. 24 के दक्षिण में स्थित है। जो हरबंस द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी का उचित रास्ता है। इस चालू रास्ते में आने वाले खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार मखनसिंह द्वारा चाहा जा रहा रास्ता चक 18 एमओड़ी में प.नं. 27/254 (5) कि.नं. 1 में पूर्व से पश्चिम में उत्तर की ओर एवं प.नं. 27/253 (2) कि.नं. 22 में पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर मौके पर चालू है। परन्तु चाहे गए रास्ते से कम दूरी का स्वीकृतशुद्धा रास्ता प.नं. 27/253(2) कि. नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्थित गैर मुमकिन रास्ता से कि.नं. 20 [illegible] के कि.नं. 19 व 22 (आंशिक) की दूरी एक बीघा बनती है जो कि मखनसिं[illegible] गए रास्ते से कम दूरी का उचित रास्ता है। प्रकरण में हमारे स[illegible]र्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है तथा [illegible] को सुना गया है अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का इकबाल दावा प्रस्तुत है [illegible] प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। हमारे स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है जो अत्यांत्कि रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाकर **चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/254 कि.नं. 1/0.0250, 2/0.0250, 9/0.0250,12/0.0200, व प.नं. 27/253 कि.नं. 22/0.0200 को रास्ता स्वीकृत किया जाता है** जो कि चक 18 एम ओ डी का प.न. 27/254 का कि.न. 1 की उत्तर दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 2 बिस्वा चौड़ा व पूर्व पश्चिम 1 बीघा लम्बा व प.न. 27/253 कि.न. 22 में पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण पौना बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो कि प.न. 27/254 के कि.न. 2, 9,12 की पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण पौने तीन बीघा लम्बा व पूर्व– पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

रास्ता के प्रतिकर के रूप में प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम के नाम दर्ज संयुक्त खाता की चिपती हुई समान कीमत की भूमि प.न. 27/253 के किला न. 19 की 0.025 हैक्0 रकबा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को बहिब प्रतिकर के रूप में दर्ज की जावे इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 को प्रार्थी संख्या 1 हरबंश सिंह के नाम दर्ज प.न. 27/254 किला न. 13 की 0.055 हैक्0 भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम प्रतिकर के रूप में दर्ज की जावे।

आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/02/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:46:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner